अभिगृहीत किये गये नशीले औषध द्रव्यों का सही-सही मूल्य निर्धारित नही किया जा सकता क्योंकि यह नशीले औषध द्रव्यो की शुद्धता, उनके उद्गम स्थान, उनकी स्थानीय मांग और आपूर्ति की स्थिति इत्यादि कारको पर निर्भर करता है।

(ख) उचित कानूनी कार्यवाहियों के पश्चात् जब जब्तशुदा नशीले औषध द्रव्य निपटान के लिये तैयार हो जाते है तो अफीम मारफीन को छोड़कर उन्हे नष्ट कर दिया जाता है । अफीम और मारफीन यदि वे पुनः उपयोग के लिये उचित पाई जाती है तो इनका आगे और संसाधन करने के लिये और ऐलकेलाइड निकालने के लिये प्रयोग किया जाता है।

(ग) नशीले औषध द्रव्य से संबंधित अपराधों के मामले सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और स्वापक औषध द्रव्य और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत दर्ज किए जा सकते हैं । स्वापक औषध द्रव्य और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 को, जिसमें नशीले औषध द्रव्यों से संबंधित अपराधों के मामलों में कठोर दण्ड देने की व्यवस्था है, लागू करने के साथ-साथ केन्द्र और राज्यों द्वारा नशीले औषध द्रव्यों का अवैध रूप से धन्धा करने वालों/तस्करों के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया गया है । सरकार ने नशीले औषध द्रव्यों के अवैध धन्धे के विरुद्ध बहु-आयामी जोरदार निवारक उपाय शुरू किए हैं जिसमें अन्य बातो के साथ-साथ निवारक और आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाना, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, अधिकारियों और मुखबिरों के लिए उदार पुरस्कार योजना को अपनाना, पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग (सार्क के तत्वावधान में क्षेत्रीय सहयोग सहित) को सुदृढ़ बनाना शामिल है । उचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए स्थिति पर लगातार निगरानी भी रखी जाती है ।

Bomb blast at Kapurthala Coach Factory

@1529. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Kapurthala Rail Coach Factory was rocked with a bomb blast the very first day when the first coach was flagged off recently; and

(b) if so, what are the details thereof stating the estimated loss, if any, suffered as a result thereof; the outcome of the inquiry made by Government into the incident and the action taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) According to the information furnished by the Government of Punjab a cracker type explosion of minor nature took place on 31st March, 1988 in a heap of clay about 300 yards away from the stage set up in the Railway Coach Factory, Kapurthala. No damage was caused on account of this explosion. A case under section 3|4 Explosives Act has been registered at Kapurthala in connection with this incident. Steps have been taken to strengthen security arrangements in the area.

Roads along the borders of Bangladesh.

1530. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Government of Assam are pressing for early completion on roads along the border of Bangladesh; and

(b) if so, the progress so far made in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): (a) As a part of the measures to check

@Previously Unstarred Question 1007 transferred from the 4th May, 1988.